

प्रेषक,

ई-मेल

जनपद न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक : 1865 / XV, फर्रुखाबाद : दिनांक : अक्टूबर 17, 2020

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में सभी न्यायालयों में ओपन कोर्ट व वर्चुअल कोर्ट रूम की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुनवाई की गयी।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 17.10.2020 के अनुसार जनपद में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 1880, कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 83060, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 82213, जाँच अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 288, पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 3678, निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 76591 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 586 है। आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस अधिष्ठान में दिनांक 17.10.2020 को कुल 105 नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये तथा कुल 54 प्रार्थना पत्र/वाद निस्तारित हुए। जिनमें से 04 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण प्रभारी जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा, 01 प्रार्थना पत्र/वाद का निस्तारण सिविल जज (सी0डि0), फर्रुखाबाद द्वारा तथा 22 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया गया। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वेबलिंक पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कृपा करें।

सादर।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

*R.K.Ra.*

I/c जनपद न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

पत्रांक : / , फर्रुखाबाद : दिनांक : अक्टूबर , 2020

प्रतिलिपि :- निजी सचिव/उपनिबन्धक (माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, फर्रुखाबाद परिक्षेत्र), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोपरि।

I/c जनपद न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

